

राजस्थानसरकार  
निदेशालय पशुपालनजयपुर

क्रमांक एफ.वी.9(1)(4)(9)स्था/ब/सं.बल/2019/

दिनांक

नियुक्ति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ पशुपालन सेवा नियम 1977 के अनुसार कार्मिक (क-2 नियम) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.7(2) कार्मिक (क-2) 05 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प. 16(2)वित्त/ नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.03.2006, प.6(6) वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प. 16(5)वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प.1(2) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं समय-समय पर हुए विभिन्न संशोधनों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 22 की अनुसूची IV, अधिसूचना संख्या एफ.14(1)एफडी (रूल्स) 2013-II, दिनांक 28.08.2013 एवं अधिसूचना संख्या एफ.15(1)एफडी (रूल्स)/2017, दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत पशुधन सहायक के पद पर पे-लेवल 8 में कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी (Probation Trainee) के रूप में रु. 18500/-प्रतिमाह पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) की दर पर नियुक्ति हेतु राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के पत्रांक प.14(67)(1)RSMSSB/अर्थना/पशुपा./पशु.सहा./पात्रता-जांच/2018/3654 दिनांक 16.12.2020 के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र के 07 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 11 अभ्यर्थियों का पदस्थापन निम्न शर्तों पर किया जाता है :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है।
2. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्याधीन रहेगी।
3. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चाल चलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त के अध्याधीन की जा रही है। इसके लिए कार्यभार सम्भालने की दिनांक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् ही कार्य ग्रहण किया जा सकेगा।
4. कार्मिक (A-Gr.II) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-1(5)DOP/A-2/17दिनांक 15.05.2018 के अनुसार अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने से पूर्व निर्धारित Attestation Form तथा Self Declaration प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के पुलिस विभाग के रिकार्ड के अनुसार चरित्र सत्यापन सही नहीं होने अथवा Self Declaration में झूठी सूचना दिये जाने की स्थिति में इस अस्थायी नियुक्ति आदेश को तत्काल निरस्त किया जाकर आपराधिक/कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
5. विवाहित अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं दिनांक 01.06.2002 एवं इसके पश्चात् 2 से अधिक सन्तान उत्पन्न होने सम्बन्धी रु. 50/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
7. उक्त परीवीक्षा अवधि में अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि विशेष राजस्थान सेवा नियम में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सन्तोषप्रद सेवापूर्ण करने के उपरान्त इन्हें पशुधन सहायक पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य नियमानुसार भत्ते देय होंगे।
8. राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.13(1)एफडी/रूल्स/03 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।

9. सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उनके अधीन कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों से राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 नवीन चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा इनकी शैक्षणिक योग्यता, पशुधन सहायक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि की जाँच उनके मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर भली भाँति कर कार्यग्रहण करवायेंगे तथा इनकी सत्यापित प्रतियाँ रिकार्ड में रखेंगे। किसी भी विवाद ग्रस्त स्थिति में प्रकरण निदेशालय को भिजवायेंगे।
10. इन अभ्यर्थियों को आदेश प्रसारित होने की तिथि से 21 दिवस की अवधि में कार्य ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
11. चयनित अभ्यर्थियों की वरियता का निर्धारण राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी मेरिट के आधार पर ही किया जावेगा।
12. उपरोक्त अभ्यर्थियों का चयन माननीय उच्च न्यायालय के सिविल याचिका संख्या 21276/2019, 15242/2019, 13120/2019, 11785/2019, 9159/2019, 6917/2019, 6580/2019, 6505/2019, 5420/2019, 4095/2019, 4076/2019, 4038/2019, DBSAW1481/2019, 1829/2020 एवं पशुधन सहायक भर्ती 2018 में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित अन्य प्रकरणों में पारित अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

क्र.सं.	रोलनं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	संवर्ग	जन्म दिनांक	श्रेणी	पदस्थापनस्थान
1	711857	GAURAV SHARMA	SOMDUTT	GEN	10-12-1995	Male	उपकेन्द्र खानयानी, बाडमेर
2	713086	HARIOM	MAHARAJ SINGH	OBC	15-07-1984	Male	उपकेन्द्र बद्रीपुर, भरतपुर
3	717409	MUKESH KUMAR	GIRDHARI LAL	OBC	05-07-1985	Male	उपकेन्द्र खीरवा, सीकर
4	714931	SHYAM LAL	KHIYA RAM	OBC	11-11-1986	Male	उपकेन्द्र सजनकापाट, बाडमेर
5	710209	PINTU SINGH	RAM SINGH	SC	16-04-1996	Male	उपकेन्द्र 20 बीडी,, बीकानेर
6	716014	LOKESH KUMAR MEENA	RAMSWARO OP MEENA	ST	03-02-1990	Male	उपकेन्द्र बूजाका, अलवर
7	715412	RAJENDER	BADRI RAM	OBC	01-06-1988	Male	उपकेन्द्र रत्तेवाला, पदमपुर, श्रीगंगानगर
8	702752	BHUPESH PATIDAR	VAJENG PATIDAR	OBC	12-08-1994	Male	उपकेन्द्र कुशलपुरा, बांसवाडा
9	711852	NAGJI BAMANIYA	SHAMBHU LAL BAMANIYA	ST	08-06-1983	Male	उपकेन्द्र वखतपुरा, बांसवाडा
10	703649	NILESH KATARA	NARAYAN LAL KATARA	ST	14-01-1999	Male	उपकेन्द्र बलवाणिया, डूंगरपुर
11	707350	GANESH LAL GARASIYA	ARJUN GARASIYA	ST	09-06-1988	Male	उपकेन्द्र नवाखेडा, बांसवाडा
12	711461	ISHWARLAL ROAT	NATHULAL ROAT	ST	12-07-1987	Male	उपकेन्द्र उपरगांव, डूंगरपुर
13	713607	PRAVIN KUMAR DAMOR	LALU DAMOR	ST	10-09-1991	Male	उपकेन्द्र थामकीतालाब, डूंगरपुर